राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 09/2022

निर्णय दिनांक :– 31/8/2022

प्रार्थी :–

मोहनलाल पुत्र गमनारामजी उम्र–वयस्क
जाति– मेघवाल, निवासी–छोडा, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री जगतसिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 31/8/2022

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम आना की खाता संख्या 462 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम आना के खसरा नम्बर 1501/992 रकबा 0.2450 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 991 रकबा 84.6800 हेक्टर किस्म गे.मु. भाखर में से 20 फीट चौडा रास्ते की मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/271 दिनांक 22.06.2021 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 04.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जि[illegible] पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

4– अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2022/1101 दिनांक 04.07.2022 के जरिये पटवार हल्का आना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौजा ग्राम आना के खसरा नम्बर 1501/992 रकबा 0.2450 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आने जाने हेतु रास्ते के लिए प्रार्थी खातेदार ने ग्राम आना के खसरा नम्बर 991 रकबा 84.68 हेक्टर किस्म गै.मु. भाखर में से खसरा नम्बर 1000, 1502/992 व 1501/992 के लगती माठ के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की है।
2. उक्त आवेदित प्रस्तावित स्थल प्रार्थी के अपनी खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु पूर्व से ही रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है, जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि पहूंच हेतु उपयुक्त है इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता के लिये खसरा नम्बर 991 रकबा 84.68 हेक्टर में से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 991 में 459X20 = 9180 वर्ग फीट यानि 853 वर्ग मीटर भूमि प्रभावित होगी। जो दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 853 वर्गमीटर की राशि रूपये 28665/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 57330/– बनती है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होने से प्रार्थी को खसरा नम्बर 991 रकबा 84.68 हेक्टर सिवायचक भूमि में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 1000, 1502/992 एवं 1501/992 के माठ के सहारे सहारे 853 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी मे आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 991 में से ही है अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जाच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एव पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम आना के खसरा नम्बर 1501/992 रकबा 0.2450 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आने – जाने हेतु प्रार्थी की माग अनुसार राजकीय सिवायचयक भूमि खसरा नम्बर 991 रकबा 84.68 हेक्टर में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 1000, 1502/992 एव 1501/992 के माठ के सहारे–सहारे 853 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 57330/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष मे जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 853 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 57330/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम आना खसरा नम्बर 1501/992 रकबा 84.68 हेक्टर भूमि किस्म बा.अ. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 991 रकबा 84.68 हेक्टर में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 1000, 1502/992 एवं 1501/992 के माठ के सहारे–सहारे 853 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/8/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested